

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 3093-98 /स्थाना0/प्रा0शि0/2022-23 दिनांक: 08 जुलाई, 2022

विषय: स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/xxx-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08.04.2022 के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थानान्तरण आदेश अपलोड किये जाने हैं।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि संलग्न स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
संलग्न- उक्तवत्।

भवदीय

08.7.2022
(ए0क0सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर।

पृ0सं0 / 3093-98 /स्थाना0/प्रा0शि0/2022-23 दिनांकित: उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर।
02. मुख्य विकास आधिकारी ऊधम सिंह नगर।
03. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
04. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
05. एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि जनपद ऊधम सिंह नगर के अनिवार्य/अनुरोध की श्रेणी से सम्बन्धित प्राथमिक स्तर के स्थानान्तरण आदेशों को समयान्तर्गत विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

08.7.2022
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 222 / अनिवार्य / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति / स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 प्राथमिक को अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत (धारा-9 सुगम से दुर्गम) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
01	तरन्नुम सबा	स0अ0	रा0प्रा0वि0महुवाखेड़ा, जसपुर	रा0प्रा0वि0बैगुलडाम खत्ता, सितारगंज	सम्भावित रिक्ति के प्रति
02	प्रवीन आर्या	स0अ0	रा0प्रा0वि0, आवास विकास, रूद्रपुर	रा0प्रा0वि0गंगापुर, सितारगंज	सम्भावित रिक्ति के प्रति

ह0/-

(ए0के0सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 2493-3002 / अनिवार्य / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

6 Aug 2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 223 /अनिवार्य/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित शिक्षकों (उच्च प्राथमिक स्तर) को अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत (धारा-9 सुगम से दुर्गम) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
01	श्रीमती रश्मि बिष्ट	स0अ0 वि0/ग0	रा0उ0प्रा0वि0शान्तीपुरी, रूद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0कोपा मुन्स्यारी, गदरपुर	उपलब्ध रिक्ति के प्रति
02	श्रीमती दीपा राठौर	स0अ0 भाषा	रा0उ0प्रा0वि0हल्दी, रूद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0कोपा मुन्स्यारी, गदरपुर	उपलब्ध रिक्ति के प्रति

ह0/-
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3003-12 /अनिवार्य/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्रा0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या **226** /अनुरोध/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: **08.07.2022**
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(4) गम्भीर बीमारी/विकलांगता) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
01	तुषार कान्त राय	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ज्ञानपुर गौड़ी, सितारगंज	रा0प्रा0वि0बीस क्वार्टर, सितारगंज	विकल्प के आधार पर
02	गौतम कुमार प्रमाणिक	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सुन्दरनगर, सितारगंज	रा0प्रा0वि0बघौरी, सितारगंज	विकल्प के आधार पर
03	गुलाम मासूम अफगानी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कालीनगर गदरपुर	रा0प्रा0वि0शिमला पिस्तौर, रुद्रपुर	विकल्प के आधार पर
04	श्रीमती लीला फर्त्याल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 करघटिया, सितारगंज	रा0प्रा0वि0खडकपुर देवीपुरा, काशीपुर	विकल्प के आधार पर
05	कलावती बोहरा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कैलाशपुरी, सितारगंज	रा0प्रा0वि0कुटरी, खटीमा	विकल्प के आधार पर
06	अचर्ना अग्रवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0सरवरखेडा प्रथम, जसपुर	रा0प्रा0वि0जसपुर खुर्द, काशीपुर	विकल्प के आधार पर

ह0/-
 (ए0के0सिंह)
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
 ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 **3013-22** / अनुरोध / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्रा0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय मे 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
 ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 225 /अनुरोध/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(5) मानसिक रूप विक्षिप्त अथवा रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतया लाचार है के माता-पिता) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
01	श्रीमती बैजन्ती देवी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बस्ती गूलरभोज, गदरपुर	रा0प्रा0वि0कुण्डेश्वरी, काशीपुर	विकल्प के आधार पर
02	अचर्ना चौधरी	स0अ0	रा0प्रा0वि0सरवरखेडा प्रथम, जसपुर	रा0प्रा0वि0फसियापुरा, काशीपुर	विकल्प के आधार पर

08/
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3023-32 /अनुरोध /2022-23/सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय मे 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 226 /अनुरोध/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(3) सेवारत् पति-पत्नी) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	नन्दा चकवर्ती	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सुल्तानपुर-1 बाजपुर	रा0प्रा0वि0रम्पुरा, रूद्रपुर	विकल्प के आधार पर
2	श्रीमती विजयलक्ष्मी कोठारी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मजरा दरऊ, रूद्रपुर	रा0प्रा0वि0पी0ए0सी0, रूद्रपुर	विकल्प के आधार पर
3	श्री राहुल कौशिक	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गुलड़िया, काशीपुर	रा0प्रा0वि0सुभाष चन्द्र बोस, काशीपुर	विकल्प के आधार पर

ह0/-
(ए0के0सिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3033-42 अनुरोध /2022-23/सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय मे 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 227 /अनुरोध/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 उच्च प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(3) सेवारत् पति-पत्नी) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	भागीरथी पपनै	स0अ0 सामान्य	रा0उच्च प्राथमिक विद्यालय रम्पुरा काजी बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0रेलेवे,काशीपुर	विकल्प के आधार पर
2	श्रीमती अंजू	स0अ0 भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 नूरपुर, काशीपुर	रा0उ0प्रा0वि0कुमायूँ कालोनी, काशीपुर	विकल्प के आधार पर

ह0/-
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3043-52 / अनुरोध /2022-23/सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय मे 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या ११४ /अनुरोध/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: ०४.०७.२०२२
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 उच्च प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(5) मानसिक रूप विकसित अथवा रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतया लाचार है के माता-पिता) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	भूपेन्द्र कुमार	स0अ0 वि0/ग0	रा0पू0मा0वि0 मडैयाहट्टू, बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0कुमार्यु कालोनी, काशीपुर	विकल्प के आधार पर

ह0/-
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं० 3053-62 / अनुरोध /2022-23/सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्रा0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय मे 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

०४/०७/२०२२
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 229 /अनुरोध/2022-23/सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 उच्च प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(4) गम्भीर बीमारी/विकलांगता) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	पूरन सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 विथा अकबर, सितारगंज	रा0उ0प्रा0वि0सुजिया महोलिया, खटीमा	विकल्प के आधार पर
2	श्रीमती सुधा सिन्हा	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 पत्थरचट्टा, रुद्रपुर	रा0क0उ0प्रा0वि0रुद्रपुर	विकल्प के आधार पर

ह0/-
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3063-72/ अनुरोध /2022-23/सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय मे 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 230 / अनुरोध / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति / स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित प्र0अ0 प्राथमिक को उनके अनुरोध के आधार पर (धारा-13(3) सेवारत् पति-पत्नी) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
3	श्री मौहम्मद नसीम	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 खरमासा, काशीपुर	रा0प्रा0वि0अरूणा आसफ अली, काशीपुर	विकल्प के आधार पर

ह0/-
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3073-82 / अनुरोध / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित प्र0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 231 / अनिवार्य / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: 08.07.2022
विज्ञप्ति / स्थानान्तरण आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक: प्रा0शि0-दो(02)/595-2022/668-75 /2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 व कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश 1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रम में निम्नांकित स0अ0 प्राथमिक को अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत (धारा-12 दुर्गम से सुगम) निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय	अभ्युक्ति
01	जीवन सिंह नेगी	स0अ0	रा0प्रा0वि0बैगुलडाम खत्ता, सितारगंज	रा0प्रा0वि0खुर्पिया भूरागौडी, रुद्रपुर	उपलब्ध रिक्ति के प्रति
02	हिमांचल कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0गंगापुर, सितारगंज	रा0प्रा0वि0झनकट, सितारगंज	उपलब्ध रिक्ति के प्रति

ह0 / -
(ए0के0सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।

पृ0सं0 3083-92 / अनिवार्य / 2022-23 / सेवायें-4 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
5. मुख्य/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधमसिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
7. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षक को प्रत्येक दशा में 07 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित शिक्षक का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जाय।
8. प्र0अ0 संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधमसिंह नगर।
9. संबंधित स0अ0 को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

08.07.2022
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
ऊधमसिंह नगर।